भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1865
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

1865. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

श्री शंकर लालवानी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) उक्त योजना की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएस) की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत समयबद्ध रीति में बलात्संग और लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित शीघ्र विचारण और लंबित मामलों के निपटान के लिए अक्तूबर, 2019 से अनन्य रुप से पॉक्सो न्यायालय भी है ।

स्कीम एक वर्ष के लिए आरंभ की गई थी जिसका मार्च, 2023 तक विस्तार किया गया था । स्कीम को अब निर्भया निधि से उपगत करने के लिए केन्द्रीय भाग के रुप में 1207.24 करोड़ रुपए के साथ 1952.23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 31.03.2026 तक विस्तारित कर दिया गया है । निधियों को दिन प्रतिदिन व्यय में होने वाले बैठकों के लिए 7 सहायक कर्मचारिवृंद के साथ 01 न्यायिक अधिकारी के वेतन और फ्लैक्सी अनुदान को कवर करने के लिए सीएसएस पद्धति (60:40, 90:10) पर जारी किया गया है।

उच्च न्यायलयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मई, 2024 तक संपूर्ण देश में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 410 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 755 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय प्रचालित हैं जिसमें 2,53,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है । तारीख 31.05.2024 के अनुसार निपटान किए गए मामलों की संख्या के साथ क्रियाशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध** पर है ।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना महिला सुरक्षा, लैंगिक और लिंग आधारित हिंसा से निपटने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संवेदनशील लैंगिक अपराध मामलों को संभालने में विशेषज्ञ पेशेवर और अनुभवी न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के साथ, ये न्यायालय लगातार और विशेषज्ञ-निर्देशित विधिक कार्यवाहियां सुनिश्चित करती हैं, जिससे लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को आघात और संकट को कम करने में त्वरित समाधान मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों ने पीड़ितों की सुविधा के लिए और एक दयालु विधिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए न्यायालयों को बाल-अनुकूल न्यायालयों में बदलने के लिए न्यायालयों के भीतर कमजोर साक्षी बयान केंद्र स्थापित करने के दृष्टिकोण को उल्लेखनीय रूप से अपनाया है।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।
मई, 2024 तक निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		स्कीम के परारंभ से आकलित निपटान		
		अनन्य पाक्सो सहित एफटीएस	अनन्य पाक्सो	एफटीएस	अनन्य पाक्सो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	4899	4899
2	असम	17	17	0	5893	5893
3	बिहार	46	46	0	11798	11798
4	चंडीगढ़	1	0	265	0	265
5	छत्तीसगढ़	15	11	924	4044	4968
6	दिल्ली	16	11	555	1262	1817
7	गोवा	1	0	32	34	66
8	गुजरात	35	24	2263	9793	12056
9	हरियाणा	16	12	1572	4675	6247
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	416	1126	1542
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	91	101	192
12	झारखंड	22	16	2279	4537	6816
13	कर्नाटक	31	17	3740	6657	10397
14	केरल	55	14	13530	6123	19653
15	मध्य प्रदेश	67	57	3894	22456	26350
16	महाराष्ट्र	14	7	7258	11530	18788
17	मणिपुर	2	0	146	0	146
18	मेघालय	5	5	0	462	462
19	मिजोरम	3	1	148	55	203
20	नागालैंड	1	0	61	3	64
21	ओडिशा	44	23	4992	9521	14513
22	पुडुचेरी	1	1	0	83	83
23	पंजाब	12	3	2055	2061	4116
24	राजस्थान	45	30	4502	10138	14640
25	तमिलनाडु	14	14	0	7225	7225
26	तेलंगाना	36	0	5993	2731	8724
27	त्रिपुरा	3	1	203	186	389
28	उत्तराखंड	4	0	1614	0	1614
29	उत्तर प्रदेश	218	74	34091	34998	69089
30	पश्चिमी बंगाल	5	5	0	106	106
	कुल	**755**	**410**	**90624**	**162497**	**253121**

*पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में एक अनन्य पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया है।

****